कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज
उत्तर प्रदेश जल निगम
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालयः– टी.सी.–38–वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

फोनः +91 522 2991475 फैक्सः +91 522 2991476

Visit us at : www. cdsupjn.org e-mail:-director@cdsupjn.org

पत्रांकः 415/म.प्र.नि–12/विद्यु0/विक्रा/63 दिनांकः 26-7-11

अल्प कालीन निविदा सूचना

निदेशक, सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र जल निगम, लखनऊ की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु सी0एण्ड डी0 एस0 में पंजीकृत/सूचीबद्ध ठेकेदारों से मोहरबन्द कोटेशन दिनांक 05.08.2011 अपरान्ह 15.00 बजे तक कार्यालय निदेशक, सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, टी0सी0–38 वी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन दिनांक 05.08.2011 को 15.30 बजे उक्त कार्यालय में ठेकेदारों/उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित हों, के समक्ष महाप्रबन्धक (नि–12) द्वारा खोले जायेंगें।

क्रम सं.	विवरण	निर्माण अवधि	स्थान	धरोहर धनराशि (अर्नेस्टमनी) रू0 लाख में
(1)	132 के0वी0 उपकेन्द्र, स्वचलित प्रणाली युक्त (एस0ए0एस0), सिकन्दरा का 'टर्नकी' आधार पर निर्माण	12 माह	सिकन्दरा,जनपद, कानपुर देहात	5.00
(2)	132 के0वी0 उपकेन्द्र, स्वचलित प्रणाली युक्त (एस0ए0एस0) टूंडला का 'टर्नकी' आधार पर निर्माण	12 माह	टूंडला जनपद, आगरा	6.00

शर्तेः–

(1) कोटेशन दाता को कोटेशन जमा करते समय उपर्लिखित धरोहर धनराशि राष्ट्रीय कृत बैंक की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0/बैंक गारंटी जो निदेशक सी0एण्ड डी0 एस0 के नाम बन्धक हो, जमा करनी होगी।

(2) स्वीकृत न्यूनतम दर के उपरान्त सम्बन्धित कोटेशन दाता को एग्रीमेन्ट के समय कार्य की लागत का 2 प्रतिशत जमानत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0/बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी जो निदेशक, सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के नाम बंधक होगी। प्रत्येक रनिंग बिल से देयक की धनराशि की 8 प्रतिशत की कटौती जमानत धनराशि के मद में की जायेगी। इस प्रकार जमानत के मद में रोकी गयी धनराशि (10%) कार्य पूर्ण होने एवं रखरखाव अवधि 2 वर्ष 6 माह बाद तक जमा रहेगी। यदि ठेकेदार उक्त धनराशि वापस लेना चाहें तो समतुल्य धनराशि की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0/बैक गारन्टी जो निदेशक सी0एण्ड डी0 एस0 के नाम उक्त अवधि के लिये बन्धक हो, जमा करनी होगी।

(3) कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक घट–बढ सकती हैं।

(4) नियमानुसार व्यापार कर/आयकर/या अन्य कोई कर कोटेशन दाता को देना होगा।

(5) कोटेशन प्रपत्र दिनांक 30.07.2011 तक कार्यालय निदेशक, सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, टी0सी0–38वी0, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किसे जा सकते हैं।

(6) कोटेशन जमा करते समय ठेकेदार को प्रार्थना–पत्र के साथ इम्पैनलमैन्ट की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(7) एक अथवा समस्त कोटेशन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

(8) सी0एण्ड डी0 एस0 में पंजीकृत/सूचीबद्ध ठेकेदारों को ही काटेशन निर्गत की जायेंगी।

(9) कार्यों का सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का प्रमाण–पत्र निदेशक, विद्युत सुरक्षा से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(10)(1) 132 के0वी0 सबस्टेशन के निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त दो वर्ष तक सफल संचालन एवं अनुरक्षण कार्य ठेकेदार को करना होगा। पावर ट्रान्सफार्मर की गारण्टी 5 वर्ष की होगी तथा

अन्य उपकरणों की गारंटी 12 माह के परिचालन अथवा 18 माह डिस्पैच की तिथि से, जो पहले हो, होगी। प्रश्नगत अवधि के अर्न्तगत किसी भी उपकरण के क्षतिग्रस्त होने की दशा मे ठेकेदार को (repair/replacement जैसी भी स्थित हो) करना होगा संचालन अवधि मे जिन उपकरणों की गारन्टी अवधि समाप्त हो गयी है, को यूपीपीटीसीएल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिनका इरेक्शन, परीक्षण एवं परिचालन ठेकेदारों द्वारा ही किया जायेगा। जिसके लिये सी0एण्ड डी0 एस0 द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। अतः जमानत के मद मे पावर ट्रान्सफार्मर की लागत की 10% धनराशि 5 वर्ष 6 माह बाद ही वापस की जायेगी इस धनराशि को वापस लेने के लिये समतुल्य धनराशि की एफ0डी0 आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0/ बैंक गारन्टी अलग से देय होगी।

(पी0 के0 जैन)
महाप्रबन्धक (नि–12)

पृ0स0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
वितरणः

(1) निदेशक, सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
(2) सम्बन्धित मुख्य महाप्रबन्धक, सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम।
(3) वरिष्ठ लेखाधिकारी, सी0एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ।
(4) तकनीकी सलाहकार (विद्युत), सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(5) सी0एण्ड डी0 एस0, में विद्युत कार्य हेतु समस्त इनपैनेल्ड फर्मो को सी0एण्ड डी0 एस0 की website. के माध्यम से।
(6) नोटिस बोर्ड हेतु।
(7) गार्ड फाइल।

महाप्रबन्धक (नि–12)